

कार्यालय:- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।


पत्रांक/परीक्षा/ 9763-69 /2022-23
कार्यालय आदेश

दिनांक 04-01-2023

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक/डी0ई0/3150-3238/2022-23 दिनांक 03 जनवरी 2023 के द्वारा अत्याधिक शीतलहर व कोहरे के दृष्टिगत छात्रहित में प्रदेश के कक्षा-9 से कक्षा-12 तक के समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों की कक्षाओं का समय 14 जनवरी, 2023 तक प्रातः 08.50 से अपरान्ह 02.50 के स्थान पर प्रातः 10.00 से अपरान्ह 02.00 बजे तक संचालित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जनपद गाजियाबाद में कक्षा-9 से कक्षा-12 तक के समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों की कक्षाओं का समय 14 जनवरी, 2023 तक प्रातः 08.50 से अपरान्ह 02.50 के स्थान पर प्रातः 10.00 से अपरान्ह 02.00 बजे तक संचालित रहेंगा।

उक्त तिथि तक विद्यार्थियों हेतु इन्टरमीडिएट कालेज/हाईस्कूल से सम्बद्ध प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल तक की कक्षाएँ भी संचालित नहीं होगी।



जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद

पृ0सं0/परीक्षा/ 9763-69 /2022-23

दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद।
- 3- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल मेरठ।
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।
- 6- प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन उ0मा0विद्यालय एवं इन्टरमीडिएट कालिज, समस्त बोर्ड (यू0पी0/सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) जनपद-गाजियाबाद को उक्तवत आदेशों के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
- 7- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स व दैनिक हिन्ट जनपद गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में जनहित की सूचना हेतु निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद